

प्रेषक,

लोकेश कुमार,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0 2, देवरिया।

सेवा में,

श्री राजेन्द्र कुमार चढ्ढा,
संयुक्त निबन्धक (प्रशासन-1)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

पत्रांक

/प्रथम/ दिनांक/देवरिया/अक्टूबर , 2019

विषय:-

काठमाण्डू नैपाल जाने की तिथि के बावत सूचना।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 13762/iv-3650/Admin(A-4) दिनांक 21-09-2019 के द्वारा मुझसे काण्टमाण्डू (नैपाल) जाने की तिथि के बावत सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में मुझे सादर अवगत कराना है कि मैं माह दिसम्बर 2019 में दिनांक 07-12-019 द्वितीय शनिवार एवं दिनांक 08-012-2019 रविवार अवकाश को काण्टमाण्डू (नैपाल) जाना चाहता हूँ, जो सार्वजनिक अवकाश है। माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0 16/iv f-101/Admin(A) दिनांक 27-05-2017 के आलोक में मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 24-05-2019, 17-08-2019 एवं दिनांक 20-07-2019 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, जिनकी प्रतिलिपियां इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः माननीय महोदय की सेवा में सूचना सादर प्रेषित की जा रही है।
आदर सहित।

भव दी य,

(लोकेश कुमार)

अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0 2, देवरिया।
दिनांक 11-10-2019

संलग्नक
यथोपरि।

न्यायालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
1408/19/11-10-19 देवरिया
अपर न्यायाधीश
जनपद न्यायाधीश
दिनांक 11-10-19

प्रेषक,

लोकेश कुमार,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या-17, देवरिया

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक सं०-6866/IV
-3650/Admin (A-4) 24-05-2019 के अनुपालन में
वांछित सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्रांक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं०-16/4एफ. -101/एडनिन के आलोक में वांछित सूचना निम्नवत है:-

1- क्या उपरोक्त नेपाल यात्रा से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी?

उत्तर-जी नहीं।

2- क्या इस प्रकार का अनुरोध पूर्व में अस्वीकृत किया गया है?

उत्तर- जी नहीं।

3- क्या पूर्व में भी विदेश यात्रा की गयी है, यदि हां तो विवरण?

उत्तर- श्रीमान जी मेरे द्वारा पूर्व में कभी भी विदेश यात्रा नहीं की गयी है।

अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि पशुपतिनाथ मन्दिर काठमाण्डू (नेपाल गणराज्य) यात्रा हेतु अनुमति दिये जाने हेतु मेरे प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी महती कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

(लोकेश कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या-17, देवरिया
आई.डी. यू०पी०-1629.

दिनांक 24-05-2019.

न्यायालय जनपद न्यायाधीश देवरिया

क्रमांक 3650/IV दिनांक 24-05-2019 देवरिया

अभिमानित

जनपद न्यायाधीश

देवरिया

25.05.19

are
affairs

प्रेषक,

लोकेश कुमार,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या-17, देवरिया

सेवा में,

श्री राम प्रसाद,
उपनिबन्धक (प्रकीर्ण)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा— माननीय जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

विषय— माह अक्टूबर 2019 में सुविधानुसार सात दिवस के लिए
माता पिता के साथ पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन हेतु
काठमाण्डू (नेपाल गणराज्य) की यात्रा हेतु अनुमति के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि मेरे
द्वारा माह जून 2019 में इस सम्बन्ध में आवेदन किया गया था परन्तु
इस सम्बन्ध में समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई थी। इस कारण
मैं अपने माता पिता के साथ यात्रा माह अक्टूबर 2019 में सुविधानुसार
सात दिवस के लिए करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च
न्यायालय के परिपत्र सं०-16/4एफ.-101/एडमिन के आलोक में वांछित
सूचना निम्नवत है:-

1- क्या उपरोक्त नेपाल यात्रा से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के
समक्ष कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी?

उत्तर—जी नहीं।

2- क्या इस प्रकार का अनुरोध पूर्व में अस्वीकृत किया गया है?

उत्तर— जी नहीं।

3- क्या पूर्व में भी विदेश यात्रा की गयी है, यदि हां तो विवरण?

उत्तर— श्रीमान जी मेरे द्वारा पूर्व में कभी भी विदेश यात्रा नहीं की गयी है।

अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि पशुपतिनाथ मन्दिर
काठमाण्डू (नेपाल गणराज्य) यात्रा हेतु अनुमति दिये जाने हेतु मेरे प्रतिवेदन
को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी
महती कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

(लोकेश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या-17, देवरिया
आई.डी. यू०पी०-1629.

माननीय जनपद न्यायाधीश संदिनांक 17-08-2019.
कक्ष संख्या-17, देवरिया.

जनपद न्यायाधीश
देवरिया 17-08-19

प्रेषक,

लोकेश कुमार,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या-17, देवरिया

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

विषय- माह अक्टूबर 2019 में माता पिता के साथ पशुपतिनाथ
मन्दिर दर्शन हेतु काठमाण्डू (नेपाल गणराज्य) की यात्रा
हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि मेरे
द्वारा माह जून 2019 में इस सम्बन्ध में आवेदन किया गया था परन्तु
इस सम्बन्ध में समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई थी। इस कारण
मैं अपने माता पिता के साथ यात्रा माह अक्टूबर 2019 में करना चाहता
हूँ। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं०-16/4एफ.
-101/एडमिन के आलोक में वांछित सूचना निम्नवत है:-

1- क्या उपरोक्त नेपाल यात्रा से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के
समक्ष कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी?

उत्तर-जी नहीं।

2- क्या इस प्रकार का अनुरोध पूर्व में अस्वीकृत किया गया है?

उत्तर- जी नहीं।

3- क्या पूर्व में भी विदेश यात्रा की गयी है, यदि हां तो विवरण?

उत्तर- श्रीमान जी मेरे द्वारा पूर्व में कभी भी विदेश यात्रा नहीं की गयी है।

अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि पशुपतिनाथ मन्दिर
काठमाण्डू (नेपाल गणराज्य) यात्रा हेतु अनुमति दिये जाने हेतु मेरे प्रतिवेदन
को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी
महती कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 29-07-2019.

न्यायालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
संख्या-1081/18 संख्या-29-07-19 देवरिया

प्रमाणित

जनपद न्यायाधीश

देवरिया
29.07.19

(लोकेश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या-17, देवरिया
आई.डी. यू0पी0-1629.